

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFLOPbZn/7/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 26/09/2023

प्रेषित: खान एजेंट,
जावरमाला लेड जिंक खान,
मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड,
पोस्ट: जावर,
जिला: उदयपुर (राजस्थान),
पिन: 313901.

(e-mail: hannelie.hanson@vedanta.co.in, nandlal.swami@vedanta.co.in)

विषय: राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी जावरमाला लेड जिंक खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालयके डा. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 26.08.2023 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation			
11 (1)	(i) Exploration			
	Proposed Surface Exploration		Actual Surface Exploration	
	Meterage	Holes	Meterage	Holes
	5000m	5	1915m	4
	It shows that surface exploration has not been carried out as per approved proposal and there is shortfall in the total exploration also.			
	(ii) UG Development			
	Section	Block	Prop. Dev(Meter)	Actual Dev.(Meter)
	C. Zone	80-433	300	292.65
	C. Zone	(-)230(-)130	1600	844.4
	C. Zone	(-)130(-)30	400	369.1
	W. Zone	80-250	100	0
	W. Zone	250-430	200	123.57
	E. Zone	80-250	100	0
	E. Zone	250-430	200	186.93
	South Zawarmala	80(-)250	200	0
Back filling & Ventilation		200	180.43	
Exploration Drive		200	113.77	
Ramp		600	366.77	
	G.Total	4100	2477.61	
It shows that underground development has not been carried out as per approved proposal and				

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)
उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो